

Most Immediate

No. GAD-A(F)9-2/2018.
Government of Himachal Pradesh
General Administration Department
Section-A

From

Chief Secretary,
Government of Himachal Pradesh.

To

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All Divisional Commissioners, H.P.
3. All Deputy Commissioner. H.P.
4. All Superintendent of Police. H.P.
5. All the HODs, H.P.

Dated

Shimla-2 the


03th October, 2018.

Subject: DCs and SPs Conference.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of minutes of the DCs and SPs Conference held on 17th September, 2018 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister for taking further necessary action at your end, please.

Yours faithfully,


**Deputy Secretary (GAD) to the
Government of Himachal Pradesh.**

Encl.:- As above

उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सम्मेलन दिनांक 17.09.18 की कार्यवाही:

सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री व सभी अधिकारियों का सम्मेलन में उपस्थित होने पर स्वागत किया। इसके उपरान्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने सम्मेलन में लिए जाने वाले विषयों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। मुख्य सचिव ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे विषयों के प्रस्तुतिकरण व चर्चा आरम्भ होने से पूर्व, उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करें।

माननीय मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नवगठित सरकार के लक्ष्यों के बारे में बताया व यह मार्गदर्शन भी दिया कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह इस बात पर जोर डाला कि किसी भी व्यक्ति के लिये उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की तैनाती उसके सेवाकाल में एक महत्वपूर्ण स्तर है जो कि अधिक परिश्रम व इनोवेटिव लोगों के लिये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के लोग अक्सर ऐसे परिश्रमी व दयावान लोगों को हमेशा याद रखते हैं तथा उनके द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा हमेशा होती रहती है। मुख्यमंत्री ने **Field Officers** द्वारा **extensive Touring** की आवश्यकता पर बल दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी जोर डाल कर कहा कि सरकार कुशल व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिये बचनबद्ध है तथा सरकार द्वारा जिला प्रशासन को हर सम्भव सहायता दी जायेगी। परन्तु किसी भी स्थिति में प्रशासन में ढील को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसके उपरान्त कार्यसूची अनुसार कार्यवाही आरम्भ की गई है।

1. पिछली बैठकों में की गई कार्यवाही का विवरण :- पिछले दो सम्मेलन वर्ष 2011 व 2016 में हुए, यद्यपि इन सम्मेलनों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, परन्तु ना तो की गई कार्यवाही की रिपोर्ट विभाग में प्राप्त हुई तथा न ही किसी निश्चित समयबद्ध अवधि में इन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर निर्देश जारी किए कि यह सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा तथा प्रयत्न रहेगा कि यह वर्ष में दो बार आयोजित किया जा सके। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी अनुसार पिछली दो सम्मेलनों का संक्षिप्त ब्यौरा सचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिया गया।

2. नशे के प्रचलन व इसे रोकने सम्बंधी कार्य योजना :- इस विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सब को अवगत करवाया। प्रस्तुतिकरण उपरान्त चर्चा हुई जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

- (i) स्वास्थ्य विभाग यह परीक्षण करेगा कि खंड स्तर पर कार्यरत समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को ड्रग इंस्पेक्टर की शक्तियां प्रदान की जाए। इससे कानूनी कार्यवाही करने में सहूलियत होगी तथा मामलों के निपटारे में तेजी आयेगी।
- (ii) चर्चा के दौरान यह जानकारी दी गई कि महिलाओं के लिये नशा निवारण केन्द्र उपलब्ध नहीं है जिस कारण अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है अतः यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं व पुरुषों के लिए पृथक नशा निवारण केन्द्र खोले जाए। नशा निवारण केन्द्रों को चलाने हेतु सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाए।
- (iii) नशील पदार्थों की जांच हेतु ड्रग डिटेक्शन किट हरेक विभाग को उपलब्ध करवाई जाए।
- (iv) स्वास्थ्य विभाग यह परीक्षण करे कि क्या समस्त उपायुक्तों को प्रीवेन्टिव डीटेंशन की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। विद्यालयों व महाविद्यालयों को एन्टी ड्रग मुहिम में शामिल किया जाए व समस्त विद्यालयों व महाविद्यालयों में एंटी ड्रग विजिलेंस कमेटी का गठन किया जाए।
- (v) प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे प्रवेश के साथ Joint Operation किए जाए।
- (vi) जिन व्यक्तियों की अप्रत्याक्षित रूप से अल्पावधि में सम्पत्ति की बढ़ोतरी नजर में आए उनकी सूचना आयकर विभाग को दी जाए।
- (vii) मादक पदार्थों के बारे मुखबिरों से सूचना प्राप्त करने के लिए समस्त पुलिस अधीक्षकों को शो मनी प्रदान की जाए।
- (viii) नशे के विरुद्ध खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाए व खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वालों का 'डोप' टेस्ट' (Dope Test) किया जाए।
- (ix) नशों से कैसे लड़ा जाए इस विषय पर शिक्षकों व छात्रों के अभिभावकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। विद्यालयों में 'Buddy System' शुरू किया जाए। जिस के द्वारा एक ही क्लास के पांच-छह बच्चों का समूह बनाया

जाए जो एक दूसरे की गतिविधियों पर ध्यान रखें, यह सुनिश्चित करने के लिए उनमें से कोई नशे के चुंगल में न फंसे।

- (x) नशे के विरुद्ध लड़ाई हेतु निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वे भी आगे बढ़ कर (Corporate Social Responsibility) के अर्न्तगत योगदान दे।
- (xi) Alcoholics Anonymous की तर्ज पर Narcotics Anonymous भी घटित किए जाएं जिसमें नशे के चुंगल में फंसे व्यक्ति आपस में मिलबैठ कर यह रणनीति बनाए कि वे कैसे इस के चुंगल से बाहर निकलें।
- (xii) इनजेक्टिवल ड्रग्स का प्रयोग घातक सिद्ध होता है जब, अधिक मात्रा में ड्रग्स लिए जायें व जब एक ही सीरिंज को एक से अधिक व्यक्ति नशे के लिए प्रयोग करता है तो उनके एच.आई.वी संक्रमित होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। इसके बारे में सबको सचेत किया जाए।

(कार्यवाही: गृह, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग)

3. अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण प्रभावी ढंग से रोकना :- इस विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने प्रस्तुतिकरण दिया जिसके पश्चात चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- (i) Road Side Control Act के अर्न्तगत क्षेत्र स्पष्ट रूप से बताए जाये व डीमारकेट (Demarcate) किए जाएं ।
- (ii) Revenue entries में पाई गई त्रुटियां विशेषकर जो वन भूमि से सम्बन्धित है को ठीक करने की शक्तियां समस्त उपायुक्तों को प्रदान की जाएँ।
- (iii) अधिक से अधिक क्षेत्रों को नगर एवं ग्राम योजना के रेगुलेटिड एरिया के अधीन लाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रेगुलेशन के मापदंड अलग हो। समस्त हि0प्र0 में भवनों में बनाई जाने वाली मंजिलों की संख्या सीमित की जाए।
- (iv) नगर एवं ग्राम योजना विभाग की उपस्थिति प्रत्येक ग्राम पालिका में होनी चाहिए। उपायुक्तों को यह अधिकार हो कि वे उनके जिलों में उपलब्ध नगर एवं ग्राम योजना, शहरी विकास योजना, व नगर पालिका में उपलब्ध कर्मचारियों व अन्य संसाधनों का उपयोग अपने विवेकानुसार करें।

(v) पीपीपी एक्ट के अधिकांश केस जो कि वन विभाग से संबंधित है का निपटारा शीघ्र किया जाये।

(vi) समस्त शहरी क्षेत्रों को Deemed TCP क्षेत्र अधिसूचित किया जाए। नगर एवं ग्राम योजना विभाग Professional advice लेने की कोशिश करे ताकि नगर एवं ग्राम योजना क्षेत्रों को अच्छी तरह से नियन्त्रित किया जा सके। जहां तक हो सके Regulated Areas कम से कम बनाया जाये।

(कार्यवाही: राजस्व, नगर एवं ग्राम योजना विभाग)

4. कानून एवं व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभालना :- इस विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने प्रस्तुतीकरण दिया। पुलिस व प्रशासन में मेलजोल कैसे बनाया जाए इस संबंध में उपायुक्त, कुल्लू ने प्रस्तुतिकरण दिया, जिसके पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(i) चर्चा के दौरान यह जानकारी दी गई कि अकसर यह देखा गया है कि नाईजिरिया के नागरिक बड़ी मात्रा में गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। इस बारे में भारत सरकार से निवेदन किया जाए कि नाईजिरिया के नागरिकों को वीजा प्रदान करने से पहले उनके चरित्र व पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि नेपाली भी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। अतः उन पर भी पुलिस विभाग नज़र रखें।

(ii) प्रत्येक केस में न्यायालय में बेल (Bail) दिए जाने का विरोध किया जाए।

(iii) खनन कार्य में लगी ऐसी गाड़िया जो W form को उपयोग करती हों में GPS लगवाए जाएं। खनन करने वालों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन अथवा सी.सी. टी.वी से वीडियो बनाए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

(iv) खनन हेतु लीज़ को सुनिश्चित किया जाए तथा लीज़ पर दिए गए क्षेत्रों की Demarcation की जाए व बुर्जियां स्थापित की जाए। खनन गतिविधियों पर नियन्त्रण करने हेतु जयपुर में स्थापित Command & Control Centre को देखा जाए।

(v) सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन, एक महीने में उपलब्ध करवाये जाए।

(vi) ज़िलावार खनन साइटों की संख्या एवं खनन का Volume उद्योग विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए।

(vii) उद्योग विभाग के पास खनन किए गए पदार्थों का प्रदेश में Consumption Data उपलब्ध होना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि खनन के वैध व अवैध स्रोत कौन से हैं।

(कार्यवाही: गृह, उद्योग विभाग)

5. यातायात प्रबंधन :-

- (i) वाहनों द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर नज़र रखने के लिए यातायात पुलिस को चयनित स्थानों पर सी.सी.टी.वी की सुविधा प्रदान की जाए। पुलिस को ड्रोन सुविधा मुहिया करवाई जाये। इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति सम्मेलन में ही प्रदान की।
- (ii) प्रत्येक ज़िले में पायलट के लिए गाड़ी उपलब्ध करवायी जाये। इस मांग को भी माननीय मुख्य मंत्री ने सम्मेलन में ही स्वीकृति प्रदान की।
- (iii) चर्चा के दौरान यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि पुलिस जवानों को बटालियन ड्यूटी में जाने पर बहुत कम राशि ठहरने हेतु उपलब्ध होती है। इस पर यह सुझाव दिया गया कि अन्य क्षेत्रों में तैनात बटालियन के पुलिस बल को प्रतिदिन की दर से राशि 500/ दी जाए।
- (iv) ज़िले की सीमा पर प्रोटोकॉल केवल माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भारत सरकार के मंत्रीमंडल के लिए ही होना चाहिए। सीमा प्रोटोकॉल तभी हो जब उस ज़िले के दौरे पर उपरोक्त में से कोई आ रहे हो। अगर कोई मंत्री ज़िले में किसी विभाग के कार्यक्रम में आ रहें हो तो, प्रोटोकॉल सम्बंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा होना चाहिए।
- (v) ज़िलों में बाल अधिनियम व अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम की अनुपालना हो रही है इसकी समयबद्ध जांच उपायुक्तों द्वारा की जाए।

(कार्यवाही: गृह विभाग)

6. सड़क दुर्घटनाओं को रोकना :-

- (i) उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में किसी भी प्रकार की यातायात संबंधी दुर्घटना पर तत्काल ध्यान दिया जाए।
- (ii) पुलिस द्वारा अनुरोध किए जाने पर आर.एल.ए. (RLA) द्वारा लाईसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शीघ्र की जाए।
- (iii) बिना हेलमेट पहने व्यक्ति को पेट्रोल न दिए जाने के निर्देश दिए जाएं।

(iv) यातायात पर पुलिस की अधिक निगरानी होनी चाहिये। चालक लाइसेंस बनाने व रद्द करने हेतू एच.आर.टी.सी को भी अधिकृत किया जाये।

(कार्यवाही: पुलिस एवं परिवहन)

7. सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट में घोषित की गई नई योजनायें :-

(i) समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों व उपायुक्तों को इन्हें समय पर पूरा करना व सफल करना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही: समस्त विभाग)

8. जनमंच :-

(i) इनमें से कोई मांग स्वीकार नहीं की जानी चाहिए व न ही कोई घोषणा की जाए।

(ii) चर्चा के दौरान यह जानकारी दी गई कि जिलार स्तर के कुछ अधिकारी जनमंच में रुचि नहीं लेते। इसलिए यह निर्णय किया गया कि जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की ACR जनमंच में सहभागिता बारे उपायुक्त से लिखी जानी चाहिए।

(iii) PWD, IPH, HPSEB को जनमंच गुप में शामिल किया जाए। प्रत्येक प्रशासनिक सचिव द्वारा जनमंच गुप बनाया जाए। इसका सफल आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(iv) आयोजन में विभिन्न गतिविधियों को ठीक ठाक चलाने हेतु उपायुक्तों द्वारा जनमंच की प्रत्येक माह समीक्षा की जाये तथा जनमंच कार्यक्रम को उपायुक्तों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(v) शिकायतों का निपटारा शीघ्र किया जाए व इसकी नियमित सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाये।

(vi) प्रत्येक जनमंच में उभर कर आये तीन सबसे बड़े मुद्दों की सूचना भी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए।

(vii) शीघ्र ही प्रदेश सरकार जनमंच के आयोजन में जिलों द्वारा किये जा रहे प्रयत्न व प्रदर्शन की समीक्षा करेगी व अग्रणी जिलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ईनाम दिये जायेंगे। समस्त उपायुक्त यह प्रयत्न करे कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के कम से कम तीन मुख्य समस्याओं का आकलन किया जाये व सरकार को प्रस्तुत किया जाये ताकि सरकार उसे प्राथमिकता के आधार पर attend करे।

(viii) प्रत्येक जनमंच के समापन के उपरान्त सम्बन्धित मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करे व आयोजन के उपरान्त जो भी मुख्य पहलू सामने आये उनके बारे में चर्चा की जाये।

(कार्यवाही: जन शिकायत निवारण विभाग)

9. गऊ सदन:-

विस्तृत चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह निर्देश दिये कि समस्त उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिला में कम से कम एक Cow sanctuary का निर्माण किया जाये। इस कार्य हेतु मन्दिरों द्वारा 15 प्रतिशत राशि जिलाधीश महोदय पशुपालन विभाग को स्थानांतरण करे व वित्त विभाग 1 रूपया प्रति बोतल राशि भी पशुपालन विभाग को जमा करवाये। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि:

- (i) हमीरपुर जिला में Cow sanctuary लगाने हेतु भूमि के स्थानांतरण के मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाये तथा कांगड़ा में भूमि स्थानांतरण का मामला भी शीघ्र निपटाया जाये।
- (ii) बद्दी में भूमि स्थानांतरण हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाये तथा ऊना के थानांकलां में स्थित भूमि का स्थानांतरण शीघ्र किया जाये।
- (iii) उपायुक्त किन्नौर ने यह जानकारी दी कि भूमि का चयन कर लिया गया है तथा धन भी उपलब्ध है व शीघ्र ही काम आरम्भ कर दिया जायेगा।
- (iv) उपायुक्त चम्बा द्वारा यह जानकारी दी गई कि चुवाड़ी क्षेत्र में 161 बीघा भूमि उपलब्ध है परन्तु स्थानीय विधायक इस भूमि का प्रयोग गऊ सदन हेतु नहीं करना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह आदेश दिये कि इसका उपयोग गऊ सदन हेतु ही किया जाये।
- (v) Secretary Forest will convene a meeting for approving fencing of forest land for relocating stray cattle in Bilaspur

(कार्यवाही: पशु पालन विभाग)

10. राज्य में बरसात के कारण हुये नुकसान बारे

विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि relief manual के अन्तर्गत re-construction में नई construction को भी शामिल किया जाये तथा जो भी मुद्दे उपायुक्तों द्वारा उठाये गये हैं उनका निवारण कर उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाये।

इसके उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों से यह आग्रह किया कि वह अपने जिला सम्बन्धित एक एक समस्या का विवरण दें।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

बिलासपुर

उपायुक्त: बिलासपुर शहर में जो मन्दिर, जल समाधि पा चुके हैं उन्हें relocate किया जाये

पुलिस अधीक्षक: नैना देवी पुलिस पोस्ट हेतु भूमि स्थानांतरण का मामला वन विभाग के पास लम्बित है जिसका निपटारा किया जाये।

चम्बा

उपायुक्त: जम्मू कश्मीर के सीमा वृत्त रास्ते बनाने हेतु 17000 बीघा जमीन स्थानांतरण का मामला जम्मू कश्मीर सरकार से उठाया जाये।

पुलिस अधीक्षक: हिमाचल प्रदेश पुलिस की जम्मू कश्मीर बार्डर के समीप 13 ओ.सी.पी. पोस्ट हैं जहां कि अत्यधिक ठण्ड के कारण बहुत कठिन परिस्थितियां हैं क्योंकि इन चैक पोस्ट को सर्दियों में स्थान परिवर्तन किया जाता है इसलिये वहां स्थायी ढांचे के निर्माण संभव नहीं है। पुलिस अधीक्षक चम्बा द्वारा एक लाख अटटावन हजार की लागत से हट बनाने का प्रस्ताव भेजा है जिसे मंजूर किया जाये।

हमीरपुर

उपायुक्त : कार्यालय के समीप पर्यटन विभाग द्वारा पार्किंग का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाये।

पुलिस अधीक्षक: थानों में मारुति वैन दिये गये हैं जिन्हें replace किया जाये

कांगड़ा

उपायुक्त: धारा-118 में आवश्यक सुधार किये जायें।

पुलिस अधीक्षक: जिला में 10 पुलिस पोस्ट मंजूर किये गये हैं परन्तु 5 पुलिस पोस्ट के लिये पद सृजित नहीं किये गये हैं। जिन्हें सृजित किया जाये।

कुल्लू

उपायुक्त: ए0सी0 या ए0डी0एम0 व एक गाड़ी प्रोटोकॉल हेतु दी जाये।

पुलिस अधीक्षक: कुल्लू शहर में पुलिस पोस्ट जो कि कार्यरत है परन्तु मंजूर नहीं की गई है तथा पुलिस थानों में भी पूरी staff strength नहीं है।

लाहौल स्पिति

उपायुक्त: स्वास्थ्य विभाग का पूरा किया जाये व एम्बूलैस हेतु सुरंग का प्रयोग करने दिया जाये।

पुलिस अधीक्षक: काजा में एसआई उपलब्ध नहीं है जिससे कि कार्य बाधित है। वे दिया जाये।

मण्डी

उपायुक्त: गृह निर्माण हेतु वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाये।

पुलिस अधीक्षक: जिला में लड़ भड़ोल, डैहर व वालीचौकी में चौकियां मंजूर नहीं हैं जिन्हें मंजूर किया जाये तथा गृह मरम्मत हेतु बजट दुगुना किया जाये।

किन्नौर

उपायुक्त: नौतोड़ हेतु भूमि प्रदान करने के लिये आदेश दिये जाये।

पुलिस अधीक्षक: पूह में संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा यंगथंग पुलिस पोस्ट को वाहन दी जाये।

शिमला

उपायुक्त: डोडराक्वार में एस0डी0एम0 व नायब तहसीलदार की तैनाती की जाये।

पुलिस अधीक्षक: शिमला ट्रैफिक हेतु मोटरसाईकिल प्रदान किये जायें तथा पुरानी वाहनों को बदला जाये।

सोलन

उपायुक्त: परवाणू बद्दी बरोटीवाला व नालागढ़ में झोंपड़ी वालों के लिये शौचालय का निर्माण किया जाये।

पुलिस अधीक्षक: सोलन हेतु नेशनल हाईवे में पुलिस स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी जाये व एस्कोर्ट हेतु ड्राइवर दिया जाये।

पुलिस अधीक्षक बद्दी: स्टाफ की कमी को पूरा किया जाये।

सिरमौर

उपायुक्त: त्रिलोकपुर मन्दिर हेतु रिटायर्ड अधिकारी की नियुक्ति की अनुमति दी जाये।

पुलिस अधीक्षक: हैड कांस्टेबल वे कांस्टेबल को अपने गृह क्षेत्र में नियुक्ति न दी जाये।

ऊना

उपायुक्त: प्रदेश में पर्यटन का विकास उपयुक्त न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

पुलिस अधीक्षक: जिलों में हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल को गृह क्षेत्र में नियुक्ति न दी जाये।

कार्यक्रम के समापन पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधीशों को यह निर्देश दिए गए कि वह अपने-अपने जिलों में समस्त कार्यक्रमों के कार्यन्वयन में विशेष रुचि ले तथा प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रोग्राम में प्रथम स्तर पर लाने का प्रयास करे। जन मंच, गऊ शाला निर्माण व स्वालम्बन एवं मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, शून्य बजट खोती व स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं प्रदेश सरकार के Flagship कार्यक्रम है तथा इन्हें सत्यनिष्ठा से लागू किया जाए। प्रदेश सरकार इन सभी कार्यक्रमों में जिलों का मूल्यांकन करेगी तथा उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंकित किया जायेगा। बहुत कम प्रदर्शन करने वाले जिलों व विभागों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है।

मुख्य सचिव, हि0 प्र0 ने सभी अधिकारियों की तरफ से यह आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी सरकार के कार्य में पूर्ण योगदान देंगे तथा सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु भरस्क प्रयत्न करेंगे।